सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-163/2021 दिनांक- 3 1-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बरदह

सोनहरा हत्याकांड के तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.03.21 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय उ0नि0 श्री शमशाद अली मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा , का0 रवि यादव, का0 प्रदीप गुप्ता , म0का0 कविता मेहरोत्रा द्वारा मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट की विवेचना व तलाश वांछित अभियुक्त मे मामुर थे कि जरिये मुखबिरखास द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सोनहरा में हत्या के मुकदमे में नामजद अभियुक्त रणविजय यादव व चन्देलाल यादव अजाउर नहर पुलिया पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं और भागने की फिराक में हैं मुखबिर की सूचना पर विश्वाश करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स के नहर पुलिया की तरफ आगे बढ़ा जैसे ही पुलिस से थोड़ा पहले पहुंचा तो दो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे जिन्हे दौड़कर घेरकर हमराह पुलिस बल के सहयोग से समय करीब 19.50 बजे पकड़ लिये। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम 1.रणविजय यादव पुत्र राम खेलावन यादव निवासीग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया तथा दूसरे ने अपना नाम 2. चन्देलाल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया उपरोक्त गिरफ्तारशुदा दोनो अभियुक्तगण थाना हाजा में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट में नामजद अभियुक्त हैं कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिये गये। तथा दि0 31.03.21 को प्र0नि0 मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश करते हु ए ग्राम सोनहरा मंदिर के पास पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र यादव अपने घर पर मौजूद है जिसे पकड़ा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर विश्वाश करके रविन्द्र यादव के घर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति घर में मिला जिसने अपना नाम 1.रविन्द्र यादव पुत्र बेकारू यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया जो दर्द के कारण कराह रहा है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 06.30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण व्दारा बताया गया कि आपसी चुनावी रंजीश को लेकर विवाद था जिसमे हमलोगो व्दारा आपस मे झगडा हो गया जिसमे अधिक चोट लगने के कारण अनिल यादव पुत्र ननकउ की मृत्यु हो गयी।

अपराध का तरीका-लाठी डण्डे से मारकर मृत्यु कारित कर देना।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 69/21 धारा- 147/323/504/302/34 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1- अभियुक्त -रणविजय यादव पुत्र रामखेलावन सा0 सोनहरा थाना बरदह आजमगढ

मु0अ0सं0 748/2011 धारा 363/366/376/419/420/323/504/506 भादवि

मु0अ0सं0 18ए/2011 धारा 323/504/506/325 भादवि

मु0अ0सं0 158/13 धारा 323/504/506/324 भादवि

मु0अ0सं0 238/13 धारा 147/148/323/325/392/504/506 भादवि

2- अभियुक्त- चंदेलाल यादव पुत्र मुनीलाल यादव सा0 सोनहरा थाना बरदह आजमगढ

मु0अ0सं0 238/13 धारा 147/148/323/325/392/504/506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रणविजय यादव पुत्र राम खेलावन यादव निवासीग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2. चन्देलाल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासीग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3.रविन्द्र यादव पुत्र बेकारू यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 03 अदद लाठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय उ0नि0 श्री शमशाद अली मय हमराह थाना-बरदह, आजमगढ़

2- उ0नि0 राजकुमार कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम, जनपद- आजमगढ़